संचिका संख्या– टी 3 योजना–34/2008–862

बिहार सरकार

युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक–15.05.2026

विषय– नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्कीम के अंतर्गत स्थापित नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2025–26 तक सृजित पदों के वित्तीय वर्ष 2026–27 तक के लिए अवधि विस्तार एवं रूपये 2141.79 लाख (इक्कीस करोड़ इक्तालीस लाख उनासी हजार) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्कीम के अंतर्गत स्थापित नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिनका स्थापना एवं पद सृजन किया गया है, इन सभी संस्थानों तथा इस स्कीम के तहत स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सृजित पदों का वित्तीय वर्ष 2026–27 तक के लिए अवधि विस्तार एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि रूपये 2141.79 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ इक्तालीस लाख उनासी हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 तक स्थापित संस्थान एवं पद सृजन निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	स्थापना स्वीकृति संबंधी राज्यादेश संख्या/दिनांक	2025–26 में अवधि विस्तार संबंधी पत्रांक/दिनांक
1	औ० प्र० संस्थान, राघोपुर	2948 दिनांक–16–08–23	1092 दिनांक–24.04.2025
2	औ० प्र० संस्थान, गड़खा	2948 दिनांक–16–08–23	1092 दिनांक–24.04.2025
3	औ० प्र० संस्थान, मोकामा	3024 दिनांक–29–10–24	1092 दिनांक–24.04.2025
4	औ० प्र० संस्थान, जमुई (LWE)	1333 दिनांक–30–06–15	निदेशालय पत्रांक–3256 दिनांक–25.11.2024 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना से राज्य योजनान्तर्गत नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना योजना से संचालन की स्वीकृति।
5	औ० प्र० संस्थान, रोहतास (LWE)	1333 दिनांक–30–06–15	
6	औ० प्र० संस्थान, जहानाबाद (LWE)	1333 दिनांक–30–06–15	
7	औ० प्र० संस्थान, औरंगाबाद (LWE)	1333 दिनांक–30–06–15	
8	औ० प्र० संस्थान, गया (LWE)	1333 दिनांक–30–06–15	
9	औ० प्र० संस्थान, अरवल (LWE)	1333 दिनांक–30–06–15	
10	औ० प्र० संस्थान, बौंसी, बांका (LWE)	267 दिनांक–09–02–18	
11	औ० प्र० संस्थान, नवादा (LWE)	266 दिनांक–09–02–18	
12	औ० प्र० संस्थान, मुजफ्फरपुर (LWE)	326 दिनांक–16–02–18	
13	कौशल विकास केन्द्र, करपी, अरवल	1333 दिनांक–30–06–15	
14	कौशल विकास केन्द्र, धमौल, कुरथा, अरवल	1333 दिनांक–30–06–15	
15	कौशल विकास केन्द्र, सुरंगापुर, जहानाबाद	1333 दिनांक–30–06–15	
16	कौशल विकास केन्द्र, केउर, हुलासगंज, जहानाबाद	1333 दिनांक–30–06–15	
17	कौशल विकास केन्द्र, रामपुर, नवीनगर, औरंगाबाद	1333 दिनांक–30–06–15	
18	कौशल विकास केन्द्र, घोड़ाडिहरी, मदनपुर, औरंगाबाद	1333 दिनांक–30–06–15	
19	कौशल विकास केन्द्र, प्रतापी, बाराचट्टी, गया	1333 दिनांक–30–06–15	

20	कौशल विकास केन्द्र, ताराडीह, आमस, गया	1333 दिनांक–30–06–15	
21	कौशल विकास केन्द्र, सोहजना, झाझा, जमुई	1333 दिनांक–30–06–15	
22	कौशल विकास केन्द्र, गंगरा, गिद्धौर, जमुई	1333 दिनांक–30–06–15	
23	कौशल विकास केन्द्र, तुम्बा, रोहतास	1333 दिनांक–30–06–15	

2. उक्त स्थापित संस्थानों का चालू वित्तीय वर्ष 2026–2027 में रूपये 2141.79 लाख (इक्कीस करोड़ इक्तालीस लाख उनासी हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पदों की स्वीकृति एवं विवरणी संलग्न है। व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत ही सीमित रखा जाएगा।

3. यह चालू स्कीम है।

4. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उपशीर्ष–0106 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, माँग संख्या–53 विपत्र कोड–53–2230031010106, में वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपबंधित राशि के अंतर्गत किया जाएगा।

5. इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा संबंधित संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

7. मशीन एवं उपस्करों का क्रय (यदि आवश्यक हो तो) वित्त विभाग एवं सरकार द्वारा निर्गत नियमों/उप नियमों के आलोक में किया जाएगा। क्रय किए गए सामग्रियों का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

8. पद सृजन संबंधी स्वीकृति के अनुरूप चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के संबंध में पूर्व में स्वीकृति से संबंधित निर्गत स्वीकृत्यादेश के अनुरूप होगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या– टी 3/योजना–34/2008 के पृष्ठ–124/टि०, विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका सं० टी 3/योजना –34/2008 के पृष्ठ–124/टि० एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ–121/टि० पर प्राप्त है।

10. राशि का आवंटन वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत पत्रों के अनुसार किया जाएगा।

विश्वासभजन

S. Dayal 14/5/26

(शंकर दयाल)
उप सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–34/2008– 862 /पटना, दिनांक– 15.05.2026

प्रतिलिपिः– सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 14/5/26

उप सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–34/2008– 862 /पटना, दिनांक– 15.05.2026

प्रतिलिपिः–संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 14/5/26

उप सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–34/2008– 862 /पटना, दिनांक– 15.05.2026

प्रतिलिपिः–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/बजट शाखा (सरकार पक्ष)/बजट/योजना/मासिक व्यय शाखा निदेशालय/संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्य प्रेषित।

S. Dayal 14/5/26

उप सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–34/2008– 862 /पटना, दिनांक– 15.05.2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

S. Dayal 14/5/26

उप सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।